शासनादेश संख्या– 32/15–11–2018 दिनांक 09 जनवरी, 2018 का संलग्नक।

''सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018'' का आयोजन किये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्वान्त, गाइड लाइन्स, प्रकिया और समय सारिणी।

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं में शैक्षिक गुणवत्ता को विकसित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये स्नातक, प्रशिक्षित तथा प्राथमिक स्तर के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्ह होंगें। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्राप्तांक प्रतिशत का 60 प्रतिशत अंक उनके गुणांक के साथ जोड़ा जायेगा। इस कम में शासनादेश सं0 2282/79–5:2017 –रिट–105/2014 दिनांक 09.11.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–34 सन् 1972) की धारा–19 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 का बीसवॉ संशोधन नियमावली 2017 निर्गत की गयी है।

(ख) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु कुल 68500 पदों के सापेक्ष आयोजित की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है। यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती के लिये ही मान्य होगी।

2– परीक्षा संस्था

शासनादेश सं0–4029/15–11– 2017 दिनांक 24.11.2017 द्वारा ''सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018'' के आयोजन हेतु परीक्षा संस्था के रूप में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एलनगंज, उ0प्र0 इलाहाबाद को नामित किया गया है। परीक्षा संस्था के रूप में नामित परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा परीक्षा को ससमय सम्पन्न कराये जाने हेतु बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभागों/अनुभागों द्वारा भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा परीक्षा का आयोजन करने और परीक्षाफल तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन तथा पारिश्रमिक की दरें भी निर्धारित की जायेंगी।

परीक्षा कराने वाला निकाय का आशय उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिये परीक्षा का आयोजन कराने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ की इकाई '' परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, 23 ऐलनगंज इलाहाबाद से है।

3– आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम

(1) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा ऑन लाइन आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में निर्धारित वेबसाइट पर लॉगिन करके केवल आनलाइन आवेदन करेंगे, आवेदन फार्म की प्रस्तुति से पहले निम्नलिखित तैयारियाँ आवश्यक है:–

(क) अभ्यर्थी के पास आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय नवीनतम फोटोग्राफ और हस्ताक्षर (केवल जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में) अपलोड करने के लिए स्कैन इमेज होनी चाहिए।

(ख) आवेदन पत्र पूरित करने से पूर्व अभ्यर्थी को ऑन–लाइन आवेदन प्रक्रिया के सापेक्ष आवेदन शुल्क जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगी, धनराशि अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की नवीनतम तकनीकी द्वारा निर्धारित भुगतान के माध्यम से, जमा करना अनिवार्य होगा।

(ग) शुल्क जमा करने के बाद आवेदनपत्र की अन्तिम प्रस्तुति के लिए शुल्क जमा करने के साक्ष्य के रूप में निर्धारित बैंक द्वारा प्राप्त ट्रान्जेक्शन आई.डी. संख्या अभ्यर्थी अपने पास रखेंगे।

(2) ऑन लाइन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे।

(3) "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2018" के लिए आनलाइन निर्धारित आवेदनपत्र के प्रारूप पर सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन की संख्या एवं विज्ञापन दिनांक व वर्ष अंकित किया जायेगा।

4– **आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता:–**

(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (बीसवां संशोधन) नियमावली–2017 के नियम–8 में उल्लिखित शैक्षिक, प्रशिक्षण उत्तीर्ण, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण अभ्यर्थी "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018" में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(2) " राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा न्यूनतम अर्हता कक्षा–1 से 5 के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 23.08.2010, 29.07.2011, एवं 12.11.2014 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के रेग्यूलेशन्स–9 (यथासंशोधित) अधिसूचना दिनांक 28.11.2014 के एपेंडिक्स–2 की प्रस्तावना 1.2 में निर्धारित अर्हताधारी "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018" में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

टिप्पणी:–

i. इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा।

ii. डी0एड0 (विशेष शिक्षा) की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

5– **सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु:–**

कार्यालय सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति पत्रांक **बे0शि0प0/15876/2017–18 दिनांक 28.10.2017** के अनुसार : –

परीक्षा का समय:	**3.00 घंटे**	**पूर्णांक :**	**150**
प्रश्न का प्रकार:	**अति लघु उत्तरीय**	**प्रश्नों की संख्या:**	**150**

विषयवस्तु का स्तर:

(1) भाषा: हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन (कक्षा 12 स्तर तक)।

(2) शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबन्धन एवं अभिवृत्ति –(डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम स्तर तक)।

विषय	पाठ्यक्रम	अंक
भाषा हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी	व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश, Grammar, Comprehension	40
विज्ञान	दैनिक जीवन मे विज्ञान, गति बल, ऊर्जा, दूर, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ	10
गणित	अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीयमान, भिन्न, ब्याज, लाभ–हानि, प्रतिशत विभाज्य, गुणनखण्ड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल औसत आयतन, अनुपात, सर्वसमिकाये, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी।	20
पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन	पृथ्वी की सरंचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक सम्पदा, अक्षांश और देशान्तर, सौरमण्डल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी	10

	शासन व्यवस्था, यातायात एवं सडक सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन।	
शिक्षण कौशल	शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धान्त, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारम्भिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरम्भिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन	10
बाल मनोविज्ञान	वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना सीखने के सिद्धान्त तथा कक्षा–शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था।	10
सामान्य ज्ञान / समसामयिक घटनाएँ	समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएँ–अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाएँ स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएँ, अन्तराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार / खेल–कूद, भारतीय, संस्कृति एवं कला आदि।	30
तार्किक ज्ञान	Analogies, assertion and reason, binary logic, classification, clocks and calendars, coded inequalities coding-decoding, critical reasoning, cubes number series, puzzles, symbols and notations, venn diaagrams and dice, data interpretatino, direction sense test, grouping and selections, inferences, letter series	5
सूचना तकनीकी	शिक्षण कौशल विकास, कक्षा–शिक्षण तथा विद्यालय प्रबन्धन के क्षेत्र मे सूचना तकनीकी कम्प्यूटर, इन्टरनेट, स्मार्टफोन, ओ0ई0आर0 (ओपन एजुकेशनल रिसोर्स), शिक्षण मे उपयोगी ऐप्स, डिजिटल, शिक्षण–सामग्री के उपयोग की जानकारी	5
जीवन कौशल / प्रबन्धन एवं अभिवृत्ति	व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका (सुविधा–प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता), सवैधानिक और मानवीय मूल, दण्ड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग।	10

6– <u>प्रश्न पत्र की भाषा</u> – प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनो भाषा में होगा परन्तु अभ्यर्थियों द्वारा अंग्रेजी विषय के प्रश्नों को छोड़कर शेष विषय के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा में देने होंगे।

7– <u>अर्हक अंक</u> –

(1) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णाक 150 में से 67 अंक अर्थात 45 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(2) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 60 अंक होगा।

(3) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करना किसी व्यक्ति को भर्ती / रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदण्डों में से एक है।

(4) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत टेस्ट बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण (टेस्ट बुकलेट नं0, टेस्ट बुकलेट सीरीज, रोल नं0, रजिस्ट्रेशन नं0, अभ्यर्थी का नाम इत्यादि अन्य विवरण) गलत व अस्पष्ट भरे जाने पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये गलत विवरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे।

8– <u>सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रमाण पत्र वितरण व अन्य</u> :–

(1) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय के जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से वितरित किया जायेगा।

(2) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। प्रमाण पत्र की प्रविष्टियों में कोई शुद्धि अभ्यर्थी के आवेदन पर तभी किया जायेगा, बशर्ते कि प्रमाण–पत्र में ऐसी गलत प्रविष्टि ऑन लाइन आवेदन में सम्बन्धित अभ्यर्थी की अविचारित असावधानी के कारण की गई हो। प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के फोटो, वर्ग (जाति) एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा अतः इसे सावधानी पूर्वक भरें।

(3) प्रमाण पत्र के नष्ट होने/खो जाने अथवा प्रमाणपत्र में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम अथवा माता के नाम में वर्तनी की त्रुटि होने पर प्रमाण पत्र में संशोधन/द्वितीय प्रति निर्गत की जायेगी।

(4) द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु रू0 500.00 का शुल्क परीक्षा संस्था "सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद" के पदनाम को देय होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा, को संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रमाण पत्र सहित, सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय के जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 के माध्यम से अग्रसारित कराते हुए , कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद में प्रस्तुत करना होगाः–

- **i.** हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (वास्तविक नाम के साक्ष्य हेतु)
- **ii.** प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र/अन्तिम शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र अथवा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
- **iii.** रू0 10 का नोटरी हलफनामा/शपथ–पत्र।
- **iv.** फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की छाया प्रति।

(5) उक्त शुद्धि सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 द्वारा उसी स्थिति में की जा सकेगी, जबकि अभ्यर्थी ने सम्बन्धित परीक्षा के प्रमाण पत्र को परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्गमन की तिथि से छः माह के अन्दर ही ऑन लाइन आवेदन में वर्तनी त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय के जनपद प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को त्रुटि के संशोधन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया हो और उसकी प्रति पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र इलाहाबाद को भी प्रेषित की हो।

(6) अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट जो 'सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, 23 एलनगंज इलाहाबाद में देय हो, के द्वारा 500.00 रू0 का भुगतान करके अंक तालिका या प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है।

(7) खो जाने/ नष्ट हो जाने पर द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित पत्रजात प्रस्तुत करना होगाः–

- **i.** हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (जन्मतिथि के लिए)
- **ii.** प्रशिक्षण में शामिल प्रमाण पत्र/अन्तिम शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र अथवा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण प्रमाण –पत्र की छायाप्रति।
- **iii.** जाति प्रमाण पत्र
- **iv.** विकलांगता प्रमाण पत्र
- **v.** प्रमाण पत्र खोने का समाचार पत्र में विज्ञप्ति
- **vi.** सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा का प्रमाण पत्र खोने की एफ0आई0आर0 की कापी।
- **vii.** रू0 10 का नोटरी हलफनामा/शपथ–पत्र।
- **viii.** फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की छाया प्रति।

(8) संशोधित प्रमाण पत्र/द्वितीय प्रमाण पत्र, प्रत्यावेदन जमा करने के अधिकतम दो माह के अन्दर, प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा निर्गत की जाएगी। इसे सामान्यतः डाक द्वारा सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय के जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित किया जायेगा। अभ्यर्थी संशोधित /द्वितीय प्रमाण पत्र की प्रति सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त कर सकेंगे।

(9) ''सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2018'' के प्रमाणपत्र के प्रारूप पर सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन की संख्या एवं विज्ञापन दिनांक व वर्ष अंकित किया जायेगा। "यह प्रमाण पत्र इसी भर्ती के लिए मान्य होगा" भी अंकित किया जायेगा।

NEW RU GO

9– प्रवेश पत्र का प्रेषणः–

अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा से 10 दिन पूर्व निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जायेंगे, जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड करेंगे। इस डाउनलोडेड प्रवेश पत्र के साथ ही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र नही भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को निर्धारित परीक्षा केन्द्र से इतर परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने की अनुमति नही दी जायेगी।

अभ्यर्थियों द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक से अधिक बार ऑन लाइन आवेदन किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा पूरित किये गये अंतिम ऑन लाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर ही ऑन लाइन आवेदन को मान्य करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा।

10– परीक्षा का आयोजन – परीक्षा मण्डल स्तर पर मण्डल मुख्यालय के जनपद पर आयोजित होगी।

11– परीक्षा केन्द्र का निर्धारण –

(1) "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2018" मण्डल मुख्यालय के जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति के निर्देशन एवं देखरेख में मण्डल स्तर पर शुचितापूर्वक आयोजित/सम्पन्न करायी जायेगी। मण्डल स्तर पर परीक्षा संचालन हेतु निम्नवत् **समिति पूर्णतः सक्षम एवं उत्तरदायी होगी। इस हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगाः–**

(क)	जिलाधिकारी (मण्डल मुख्यालय का जनपद)	–	अध्यक्ष
(ख)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
(ग)	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	–	सदस्य
(घ)	प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	–	सदस्य
(ड.)	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	–	सदस्य
(च)	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य सचिव
(छ)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य

(2) परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में राजकीय, सी0बी0एस0ई/आई0सी0एस0ई0 और सहायता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों को ही परीक्षाकेन्द्र बनाया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को औचित्य सिद्ध होने पर परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा। जनपद मुख्यालय पर स्थित अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त तथा अच्छी ख्याति के माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा आयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा। परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण शहरी क्षेत्र में कराया जायेगा, जिससे सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके।

(3) परीक्षा केन्द्र ऐसे इण्टर कालेज/डिग्री कालेज को बनाया जायेगा जो अच्छी ख्याति के हों और जिनमें पर्याप्त संस्थागत सुविधायें यथा बड़े हवादार कक्षा कक्ष, पर्याप्त फर्नीचर, पंखे, पीने के पानी तथा शौचालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध हों। परीक्षा केन्द्र में परीक्षा संचालन हेतु पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र का प्राचार्य/प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेगा। समिति द्वारा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु न्यूनतम 500 अभ्यर्थी आवंटित किये जायेंगे।

I. आवेदन की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के अन्दर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा मण्डल के आवेदकों की संख्या सम्बन्धित मण्डल मुख्यायल के जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक/सचिव, केन्द्र निर्धारण समिति को संसूचित की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक सप्ताह के अन्दर उक्त संख्या के आधार पर जनपद में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची छात्र आवंटन सहित (हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी दोनों में) समिति के अनुमोदनोपरांत सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

12– परीक्षा के पूर्व केन्द्र व्यवस्थापकों तथा सम्बन्धित अन्य अधिकारियों बैठक :–

(1) जिलाधिकारी परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी केन्द्र व्यवस्थापकों की संयुक्त बैठक करेंगे जिनमें परीक्षा केन्द्रों की सुचारू व्यवस्था तथा वहां उपलब्ध संस्थागत सुविधाओं तथा परीक्षा में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की रणनीति तैयार की जायेगी। परीक्षा नकलविहीन तथा शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का दायित्व भी जिलाधिकारी का होगा।

(2) उक्त परीक्षा अत्यन्त संवेदनशील है, अतः मण्डलायुक्त का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने मण्डल में उक्त परीक्षा को शांतिपूर्वक एवं शुचिता के साथ सम्पन्न कराने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंगे। मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अपने मण्डल से सम्बन्धित सूचना मण्डलायुक्त को देंगे। मण्डलायुक्त द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने पर रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

13— **प्रश्नपत्रों का प्रेषण तथा उनका रख—रखावः—**

(1) सभी मण्डल मुख्यालय के जनपद पर परीक्षा तिथि से तीन दिन पूर्व आवश्यक प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकायें जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को संयुक्त रूप से प्राप्त करा दी जायेगी जिन्हें कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखा जायेगा।

(2) प्रश्नपत्रों को परीक्षा वाले दिन डबल लॉक से प्राप्त कर उन्हें परीक्षा केन्द्रों पर समय से पूर्व सुरक्षित पहुॅचाने का उत्तरदायित्व भी मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा।

(3) परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट दो घंटे पूर्व केन्द्र व्यवस्थापक को अनिवार्यतः उपलब्ध करा दिये जायेंगे। प्रश्न पत्र परीक्षा केन्द्र पर जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेस्टस की उपस्थिति में केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा दो कक्ष निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षक के सामने खोला जायेगा तथा वीडियोग्राफी रिकार्डिग भी की जायेगी तथा इस आशय का प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर लिये जायेंगे। परीक्षा सम्पन्न हो जाने के उपरांत सदस्य सचिव (जिला विद्यालय निरीक्षक) द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जायेगी।

(4) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नामित स्टेटिक मजिस्ट्रेट की देख—रेख में सम्पादित करायी जायेगी।

(5) परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थियों के SCAN किये हुए फोटोयुक्त उपस्थिति पत्रक केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराये जायेंगे। उपस्थिति पत्रक में प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका का क्रमांक अंकित किया जायेगा एवं आवेदक के हस्ताक्षर के साथ—साथ अंगूठा निशान भी यथा स्थान लिया जायेगा।

(6) परीक्षा समाप्त होने के बाद केन्द्र व्यवस्थापक अनुपस्थित अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण विवरण सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका के अन्दर सील्ड करके उपलब्ध करायेंगे। अनुपस्थिति विवरण तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा जिसमें से एक प्रति केन्द्र व्यवस्थापक अपने पास सुरक्षित रखेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन के उपरान्त एजेन्सी को अनुपस्थित अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे किसी त्रुटि की सम्भावना न रहे।

(7) अभ्यर्थियों द्वारा उत्तरपुस्तिका में वांछित प्रविष्टियों को रिक्त (Blank) छोड़े जाने की सम्भावना बनी रहती है, अतः परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त कक्ष निरीक्षकों का उत्तरदायित्व होगा कि अभ्यर्थियों द्वारा उत्तरपुस्तिका में अंकित की गयी प्रविष्टियों का मिलान कर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें।

14— **परीक्षा आयोजित कराने की प्रक्रिया और उत्तर पुस्तिका का प्रयोग :—**

क. ''सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा—2018'' के आयोजन के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया —

(1) परीक्षा कक्ष/हॉल परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व खोले जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल खुलने के तत्काल बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए।
(2) परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित आधार कार्ड की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा —

(i) प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र

(ii) अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति

(iii) उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र

(3) जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश–पत्र, आधार कार्ड की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में बैठने हेतु एक सीट आवंटित की जाएगी जिस पर उसका रोल नम्बर दर्शाया गया होगा।

(5) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने के पश्चात् आता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष के भीतर प्रवेश–पत्र तथा काले/नीले बॉल प्वांइट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य–सामग्री, कैलकुलेटर, डॉकुपेन, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त में से कोई भी सामान पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी को 'अनुचित तरीके' के रूप में माना जाएगा और उसकी विद्यमान परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा तथा साथ ही अभ्यर्थी को आगामी परीक्षा (परीक्षाओं) के लिए भी विवर्जित कर दिया जाएगा और वह सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी।

(7). केन्द्र अधीक्षक अथवा संबंधित निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई भी अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट अथवा परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा, जब तक परीक्षा का पूरा समय समाप्त नहीं हो गया हो। अभ्यर्थी अपनी उत्तर–पुस्तिकाएं ड्यूटी पर उपस्थित निरीक्षक को सौंपे बिना कक्षा/हॉल से बाहर नहीं जाएंगे।

(8). अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने साथ एक कार्ड बोर्ड अथवा एक क्लिपबोर्ड लेकर आएं जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, ताकि परीक्षा कक्ष/हॉल में उन्हें उपलब्ध कराई गई मेजों की सतह के समतल न होने की स्थिति में भी उन्हें उत्तर–पुस्तिकाओं पर अपने उत्तर लिखने में कोई कठिनाई न हो। इन्हें परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

(9) परीक्षा हॉल/कक्ष में धूम्रपान करना, गुटका चबाना, थूकना आदि सख्त मना है।

(10) परीक्षा घंटों के दौरान परीक्षा कक्षों में चाय, कॉफी, शीतल पेय आदि ले जाने की अनुमति नहीं है।

(11). पेपर के आरंभ होने के दस मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीलबंद टेस्ट बुकलेट (प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पुस्तिका) दी जाएगी। टेस्ट बुकलेट में पूछे गये प्रश्न के उत्तर, उत्तर पुस्तिका पर अंकित करना होगा।

(12). टेस्ट बुकलेट के प्राप्त होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी टेस्ट बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण केवल बॉल प्वाइंट पेन से ही भरेंगे। वे तब तक टेस्ट बुकलेट को नहीं खोलेंगे, जब तक कि निरीक्षक द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया हो। घोषणा होने से पूर्व उसकी सील को न खोलें/तोड़ें।

(13). टेस्ट बुकलेट के प्रथम पृष्ठ पर अभ्यर्थियों को टेस्ट बुकलेट को हल करने तथा उत्तर लिखने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नों का उत्तर दिये जाने से पूर्व इन महत्वपूर्ण अनुदेशों का अनुसरण अवश्य करें।

(14). परीक्षा समाप्त होने के तुरंत पश्चात टेस्ट बुकलेट को सौंपने से पूर्व अभ्यर्थी को साक्ष्य के रूप में उपस्थिति–पत्रक में अवश्य ही हस्ताक्षर करने चाहिए। टेस्ट बुकलेट में ही प्रश्न एवं उत्तर दोनो होने के कारण परीक्षार्थी को टेस्ट बुकलेट साथ ले जाने की अनुमति नहीं है।

(15). मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी की टेस्ट बुकलेट (प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका) की गैर–अनुपलब्धता के विषय में किसी विसंगति के मामले में, यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी टेस्ट बुकलेट को भी अपने साथ ले गया है तथा ऐसे मामले में अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए परिणाम रद्द किए जाने योग्य होगा।

ख. परीक्षा से पूर्व महत्वपूर्ण अनुदेश

(1) पेपर के आरंभ होने से पांच मिनट पूर्व अभ्यर्थी को टेस्ट बुकलेट की सील को तोड़ने/खोलने के लिए कहा जाएगा।

(2) परीक्षा ठीक उसी समय पर आरंभ होगी जिसका उल्लेख प्रवेश–पत्रक में किया गया है तथा निरीक्षक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी।

(3) परीक्षा के समय के दौरान, निरीक्षक प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश–पत्रक की जांच करेंगे ताकि वे प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान के बारे में संतुष्ट हो सकें। निरीक्षक टेस्ट बुकलेट पर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।

ग. अनुचित तरीके :

(1) परीक्षा कक्ष/हॉल में यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित तरीकों का प्रयोग करता हुआ/वार्तालाप या व्यवधान उत्पन्न करता हुआ अथवा किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पाया गया, तो उसे आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से वंचित कर दिया जायेगा तथा उम्मीदवारी रद्द कर उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।

(2) पेपर को समाप्त करने के उपरांत तथा टेस्ट बुकलेट सौंपने से पूर्व अभ्यर्थी को पुनः यह जांच कर लेनी चाहिए कि टेस्ट बुकलेट में अपेक्षित सभी विवरण सही–सही लिखे गए हैं।

(3) परीक्षा के आरंभ में तथा आधा समय बीतने पर एक संकेत दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के समय से पूर्व भी एक संकेत दिया जाएगा तब अभ्यर्थी को अपने उत्तर अंकित करना बंद कर देना होगा।

(4) अभ्यर्थी यह जांच करेंगे कि टेस्ट बुकलेट में उतने ही पृष्ठ हैं जितने कि टेस्ट बुकलेट के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर लिखे हुए हैं। अभ्यर्थी टेस्ट बुकलेट से कोई पृष्ठ नहीं निकालेंगे तथा यदि उसे अपनी टेस्ट बुकलेट से कोई पृष्ठ निकालते हुए पाया जाता है, तो इसे अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला माना जाएगा तथा अभ्यर्थी आपराधिक कार्रवाई का पात्र होगा।

(5) अभ्यर्थी को उपस्थिति–पत्रक में उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे।

घ. रफ कार्य

अभ्यर्थी टेस्ट बुकलेट में केवल रफ कार्य हेतु दिये गये निर्धारित स्थान पर ही समस्त रफ कार्य करेंगे। दिये गये निर्धारित स्थान के अतिरिक्त रफ कार्य किये जाने की अनुमति नहीं है।

15– परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण :–

(1) परीक्षा एक दिवसीय होगी। परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरान्त, परीक्षा के दिन ही परीक्षा केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं को उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरण एवं अन्य परीक्षा सामग्री के साथ अलग–अलग भलीभांति सुरक्षित रूप से सील्ड कराकर कोषागार के डबल लॉक में पहुँचाने तथा उसी दिन कोषागार के डबल लॉक से उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बंडल को सुरक्षित रूप से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा।

(2) उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित पहुॅचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा पर्याप्त पुलिस स्कोर्ट की व्यवस्था तथा अन्य अपेक्षित आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को गंतव्य तक पहुंचाने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर पुस्तिका अनुपस्थिति विवरण के साथ मूल्यांकन केन्द्र हेतु सफेद रंग के कपड़े में सील्ड किया जायेगा तथा उपस्थिति तालिका एवं अनुपस्थिति तालिका का अलग–अलग लिफाफा लाल रंग के कपड़े में सील्ड कर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में प्राप्त कराया जायेगा।

(4) टेस्ट बुकलेट परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा दो कक्ष निरीक्षकों की उपस्थिति में खोले जाने के समय एवं उत्तर पुस्तिकाओं को सील्ड किये जाने के पश्चात् वीडियो रिकार्डिग की सीडी, प्रमाण पत्र अन्य प्रपत्रों के साथ समस्त लिफाफे हरे रंग के कपड़े में सील्ड कर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में प्राप्त कराया जायेगा।

(5) परीक्षा में अप्रयुक्त टेस्ट बुकलेट (उत्तर पुस्तिका) पीले रंग के कपड़े में सील्ड कर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में प्राप्त कराया जायेगा।

16– परीक्षा केन्द्रों पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्थाः–

(1) मण्डल मुख्यालय के जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु तथा प्रश्नपत्र के रख–रखाव, सचलदल तथा पर्यवेक्षण आदि हेतु रू0 30,000.00 की आकस्मिक धनराशि उपलब्ध

करायी जाएगी। इस धनराशि में सम्बन्धित स्टेटिक मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक व कोषाधिकारी के लिए रू0 2000.00 प्रत्येक का मानदेय सम्मिलित है । इस धनराशि से परीक्षा कार्य से जुड़े अन्य कार्मिकों एवं डबल लॉक में कोषागार कर्मियों तथा कार्यालय कर्मियों को भी मानदेय दिया जायेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 750.00 रूपये तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 500.00 रूपये मानदेय देय होगा।

(2) परीक्षा केन्द्र हेतु व्ययादि की व्यवस्थाः–

परीक्षा संचालन हेतु प्रति छात्र रू0 15.00 की दर से आकस्मिक व्यय का भुगतान किया जायेगा। जो न्यूनतम रू0 5000.00 एवं अधिकतम रू0 20000.00 का होगा। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 02 तृतीय श्रेणी कर्मचारी रू0 750.00 प्रति कर्मचारी एवं 04 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रू0 500.00 प्रति कर्मचारी की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त आकस्मिक धनराशि से परीक्षा सम्बन्धी समस्त व्यय हेतु भुगतान नियमानुसार मितव्ययिता के साथ वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा सम्पन्न होने के दूसरे दिन प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

(3) यदि किन्हीं परिस्थितियों में परीक्षा संचालन में अतिरिक्त व्यय हो जाता है, तो सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ऐसी सभी युक्ति संगत माँगों को संकलित करके संस्तुति सहित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को संदर्भित किया जाएगा।

(4) मानदेयः–परीक्षा कार्य से जुड़े कार्मिकों हेतु मानदेय देय होगा। उक्त हेतु धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा उनके द्वारा सम्बन्धित केन्द्रों को उपलब्ध करायी जायेगी।

	स्टेटिक मजिस्ट्रेट	रू0 2000.00
	जिला विद्यालय निरीक्षक	रू0 2000.00
	सचल दल प्रभारी	रू0 2000.00
	कोषाधिकारी	रू0 2000.00
	केन्द्र व्यवस्थापक	रू0 2000.00
	कक्ष निरीक्षक (25 छात्रों पर 02 कक्ष निरीक्षक)	रू0 750.00 (प्रति कक्ष निरीक्षक)
	पर्यवेक्षक (प्रति परीक्षा केन्द्र 02) शिक्षा विभाग तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासन का एक प्रतिनिधि	रू0 2000.00 (प्रति पर्यवेक्षक)
	सचल दल प्रभारी के साथ 02 तृतीय श्रेणी के कर्मचारी एवं 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त होंगे	रू0 750.00 प्रति तृतीय श्रेणी कर्मचारी व रू0 500.00 प्रति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
	प्रश्न पत्र कोषागार से लेकर परीक्षा केन्द्र पर पहुँचाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को भुगतान	01 प्रभारी रू0 2000.00, 01 तृतीय श्रेणी कर्मचारी रू0 750.00 एवं 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रू0 500.00
	प्रश्न पत्र निर्माण का मानदेय	रू0 60.00 प्रति प्रश्न
	प्रश्न पत्रों का मॉडरेशन का मानदेय	रू0 80.00 प्रति प्रश्न
	उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का मानदेय	रू0 50.00 प्रति उत्तर पुस्तिका

(5) मानदेयः–सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के कर्मियों को परीक्षा में लगाये जाने हेतु मानदेयः–

i. अधिकारियों को 2000 रू0 प्रतिदिन अधिकतम परीक्षा से तीन दिन पूर्व एवं तीन दिन बाद।

ii. तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को मानदेय 750 रू0 प्रतिदिन परीक्षा से तीन दिन पूर्व व तीन दिन बाद।

iii. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मानदेय 500 रू0 प्रतिदिन परीक्षा से तीन दिन पूर्व व तीन दिन बाद।

(6) केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा से 07 दिन पूर्व एक अनुमानित आगणन के अनुसार मानदेय की धनराशि की माँग जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक परीक्षा से 03 दिन पूर्व यह धनराशि केन्द्र व्यवस्थापक को उपलब्ध करायेंगें। परीक्षा के दिवस ही यथा सम्भव मानदेय की धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

17– "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2018" का परीक्षा शुल्क :–

वर्ग	परीक्षा शुल्क
सामान्य/अ.पि.व. श्रेणी	रू0 600/–
अ.जा./अ.ज.जा	रू0 400/–
विकलांग	निःशुल्क

आवेदन शुल्क से प्राप्त धनराशि का व्यय परीक्षा सम्बन्धी कार्यो के लिए वित्तीय नियमो का अनुपालन करते हुए मितव्ययिता के अनुसार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा। इसके लिए परीक्षा संस्था द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2018 के विभिन्न मदो में होने वाले सम्भावित व्यय हेतु बजट अनुमान तैयार कर शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा तथा शासन के अनुमोदनोपरान्त अनुमोदित धनराशि की सीमा में परीक्षा शुल्क से प्राप्त धनराशि से व्यय वित्तीय नियमो के अनुसार मितव्ययिता पूर्ण ढंग से किया जायेगा। अवशेष धनराशि कोषागार में राज्य सरकार के खाते में जमा की जायेगी। समस्त आय–व्यय का आडिट कराया जायेगा।

18– ऑन लाइन आवेदन –

(1) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। ऑन लाइन आवेदन हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा कराया जायेगा।

(2) ऑन लाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश परिशिष्ट – II में दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है। कि वह परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

(3) पुष्टिकरण पृष्ठ में किसी ब्यौरे में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध को ऑनलाइन सुधार करने की अनुमति अवधि के दौरान छोड़कर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी भी कारण से पुष्टिकरण पृष्ठ में एक बार भरे गए किसी ब्यौरे में किसी सुधार/संयोजन/विलोप के स्वीकार न किए जाने पर उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए परीक्षा संस्था उत्तरदायी नहीं होगा।

(4) अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संशोधित विवरण ही अन्तिम होगा और अंकित विवरण के अनुसार ही प्रवेश पत्र व परीक्षा परिणाम निर्गत किया जायेगा और भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

(5) अभ्यर्थियों को भरे गये ऑन लाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी एक विवरण अथवा एक से अधिक विवरण (अभ्यर्थी का नाम, आवेदित जनपद एवं सामान्य श्रेणी से विकलांगता की श्रेणी के परस्पर, को छोड़कर) में संशोधन मात्र एक बार ही किया जा सकेगा एक बार संशोधन किये जाने के पश्चात् किसी भी स्तर/अवस्था में पुनः संशोधन नही किया जा सकेगा।

(6) आवेदन शुल्क की समानता के कारण आवेदक मात्र सामान्य वर्ग से अन्य पिछड़ा वर्ग के परस्पर, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जन जाति के परस्पर ही संशोधन कर सकता है।

(7) शुल्क के भुगतान के बिना (विकलांग अभ्यर्थियों को छोड़कर)आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(8) एक बार शुल्क का भुगतान करने पर उसे किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस अथवा भविष्य की परीक्षा में समायोजित नहीं किया जाएगा।

(9) ऑन लाइन आवेदन पत्र पूरित करने हेतु आवेदन पत्र का नमूना प्रारूप एवं निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन पूरित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिस मण्डल के जनपद से आवेदन पत्र पूरित कर परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, उस जनपद के नाम एवं कोड का अंकन आवेदन पत्र में निर्देशानुसार अंकित करना होगा। जनपद के नाम व उसके कोड का विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है।

(10) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र पूरित करने के पूर्व उन्हें सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

(11) ऑन लाइन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे।

(12) अभ्यर्थियों द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक से अधिक बार ऑन लाइन आवेदन किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा पूरित किये गये अंतिम ऑन लाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर ही ऑन लाइन आवेदन को मान्य किया जायेगा।

19– अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु –

(1) यदि किसी अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका यह अर्थ नहीं लिया जायेगा कि अभ्यर्थी की पात्रता प्रमाणित हो गई है, इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधित भर्ती एजेन्सी/नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित की जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए और यदि वह दिए गए योग्यता मापदण्ड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो वे आवेदन न करें और फिर भी आवेदन करते हैं तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उसके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी परीक्षा हेतु दिये गये टेस्ट बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण (टेस्ट बुकलेट नं0, रोल नं0, रजिस्ट्रेशन नं0, अभ्यर्थी का नाम इत्यादि अन्य विवरण) केवल बॉल प्वाइंट पेन से सही–सही भरेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपेक्षित विवरण गलत व अस्पष्ट भरे जाने पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये गलत विवरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे।

(3) उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच, पुनः आंकलन, पुनः मूल्यांकन अथवा संवीक्षा के लिए निवेदन व इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही उस पर कोई कार्यवाही की जायेगी।

(4) विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश लागू हैं:– दृष्टि बाधित एवं शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक की सुविधा दी जा सकती है जो लिखने में सर्वथा असमर्थ हो किन्तु श्रुत लेखक को अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं लायेगा। श्रुत लेखक की शैक्षिक योग्यता परीक्षा आयोजित होने वाले वर्ष में इण्टरमीडिएट में सम्मिलित/उत्तीर्ण से अधिक नही होगी।

(5) जिस वर्ष परीक्षा हो रही है उसके एक वर्ष पहले या उसके एक वर्ष बाद इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति ही श्रुत लेखक हो सकते हैं।

(6) विकलांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशत के विकलांग होने का प्रमाण पत्र साथ में लाना होगा

(7) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को परीक्षा अवधि में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(8) असुविधा की स्थिति से बचने के लिए परीक्षा से पूर्व विशेषतः भूतल पर उचित बैठने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ।

(9) प्रश्न पत्र देने का सही समय चिन्हित किया जाना चाहिए और नेत्रहीन उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र का समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए ।

20– परीक्षा के आयोजन हेतु अन्य व्यवस्थायें:–

(1) परीक्षा हेतु एक ऑफीशियल वेबसाइट का निर्माण एवं उसका संचालन एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश लखनऊ व स्टेट डाटा सेन्टर (यू0पी0डेस्को) के नियन्त्रणाधीन सर्वर द्वारा परीक्षा संस्था की देख–रेख तथा निर्देशन में किया जायेगा।

(2) परीक्षा हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा, जो सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित किया जायेगा।

(3) अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन हेतु परीक्षा संस्था द्वारा एकीकृत रूप से प्रदेश के बहुप्रसारित कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी एवं एक अंग्रेजी के समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों मे विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

21– छंटाई के नियम :– उत्तर–पुस्तिका सहित सहायक अध्यापकों की शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभिलेख परीक्षा के परिणाम की घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक परीक्षा संस्था में संरक्षित रखे जायेंगें, तद्पश्चात् उसे बीड आउट कर दिया जायेगा।

22– परीक्षा फल प्रकाशनः–

(1) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद अथवा उनके द्वारा अधिकृत एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा।

(2) उत्तर पुस्तिकाओं की सावधानीपूर्वक जांच के उपरान्त **''परीक्षा संस्था''** द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त नियत अवधि के अन्दर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा समाचार पत्रों के माध्यम से परीक्षाफल के घोषित होने की सूचना दी जायेगी।

(3) परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रति तथा फोटो पहचान पत्र दिखाकर पात्रता प्रमाण पत्र मण्डल मुख्यालय जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त कर सकेंगे।

23– अभ्यर्थी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन्ड कॉपी परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर रु0 2000/– शुल्क का डिमांड ड्राफ़्ट देकर प्राप्त कर सकता है। डिमांड ड्राफ्ट सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आहरित और इलाहाबाद में देय हो।

24– कानूनी अधिकार क्षेत्र सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आयोजन से संबंधित सभी विवाद केवल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे।

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित समय–सारिणी के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा।

''सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2018'' को सम्पन्न कराये जाने हेतु समय सारिणीः–

क्र0 सं0	कार्यक्रम का विवरण	कार्य सम्पन्न करने के लिए अवधि का निर्धारण
	सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में ऑन लाइन आवेदन हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण का कार्य	शासनादेश निर्गत होने के एक माह के भीतर
	विज्ञापन का प्रकाशन	सॉफ्टवेयर निर्मित होने के 02 दिवस के भीतर
	आनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि	बिन्दु सं0 2 के दो दिवस के भीतर
	आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	बिन्दु सं0 3 के 20 दिवस के भीतर
	आवेदन की अन्तिम तिथि	बिन्दु सं0 4 के दो दिवस के उपरान्त
	अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र में की गयी त्रुटियों में संशोधन	बिन्दु सं0 5 के दो दिवस उपरान्त से 3 दिन के भीतर
	परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि	बिन्दु 05 के दो दिवस के भीतर
	जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने की तिथि	बिन्दु 07 के एक सप्ताह के भीतर
	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित करके केन्द्रों की सूची छात्र आवंटन सहित (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी दोनों) सचिव परीक्षा नियामक	बिन्दु 08 के तीन दिवस के भीतर

NEW RU GO

	प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराने की तिथि	
	केन्द्रों की सॉफ्ट कापी एन0आई0सी0 लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि	बिन्दु 09 के दो कार्यदिवस के भीतर
	प्रवेश पत्र Website पर load करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में load होने की सूचना की विज्ञप्ति	बिन्दु 10 के दस कार्यदिवस के भीतर
	एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त कराने की तिथि	बिन्दु 11 के एक सप्ताह के भीतर
	अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि	बिन्दु सं0 12 के चार दिवस के भीतर
	डबल lock में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका जनपद मुख्यालय पर पहुचॉने की तिथि	परीक्षा तिथि के दो दिन पूर्व
	सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तिथि	बिन्दु सं0 13 के एक सप्ताह के भीतर
	परीक्षा सम्पन्न हो जाने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड पैकेट कोषागार के डबल लॉक में पहुँचाने की तिथि	बिन्दु सं0 15 की तिथि को
	परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराने की तिथि	बिन्दु सं0 16 की तिथि से तीन दिवस तक
	उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराके परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	बिन्दु सं0 17 से 30 दिवस के भीतर
	परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रमाण पत्र प्रेषित करने की तिथि	बिन्दु सं0 18 से 30 दिवस के भीतर

परिशिष्ट – I

(क) परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनिवार्य सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं

शैक्षिक योग्यता	कोड
विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय डी0एलएड0 (पूर्व प्रचलित नाम बी0टी0सी0) उत्तीर्ण होने के साथ प्राथमिक स्तर की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0) या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	1
विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षामित्रों का द्विवर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण होने के साथ प्राथमिक स्तर की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	2
विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.)/भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.) उत्तीर्ण होने के साथ प्राथमिक स्तर की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	3
विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के उत्तीर्ण होने के साथ प्राथमिक स्तर की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	4
विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने के साथ प्राथमिक स्तर की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	5
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एल0एड0) के उत्तीर्ण होने के साथ प्राथमिक स्तर की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	6

परिशिष्ट – II

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार से अपेक्षा है:–

1. सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन में फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने की सुविधा के साथ पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। सभी विवरण ऑनलाइन भरे जाएंगे और आवेदन पत्र भरते समय फोटोग्राफ और हस्ताक्षर (केवल जेपीईजी प्रारूप में) का स्कैन अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी की तस्वीर (जेपीईजी प्रारूप) और हस्ताक्षर स्कैन करके रखने की सलाह दी जाती है।
2. सूचना बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसमें दी गई सभी अपेक्षाओं से अवगत होना।
3. परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता से संतुष्ट होना;
4. किसी भी वेबसाइट पर जाकर पूरा ब्योरा देकर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना।
5. ई–चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में आश्वस्त होना।
6. आवेदन करते समय पोस्टल पिन कोड सहित पूरा डाक का पता लिखें।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि

- वेबसाइट पर लॉगआन करें ।
- "Apply on line" लिंक पर जाएं और उसे खोलें।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेशों एवं प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढें। इस पृष्ठ के अंत में ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित चार लिंक दिए गए हैं:

(क) ऑनलाइन आवेदन फार्म भाग–I भरें और पंजीकरण संख्या नोट करें।
(ख) शुल्क का भुगतान ई–चालान के माध्यम से नामनिर्दिष्ट खाता में करें।
(ग) ऑनलाइन आवेदन फार्म भाग–III में स्कैन फोटो और हस्ताक्षर इमेज अपलोड करें।
(घ) पुष्टीकरण पृष्ठ का प्रिंट लें और अपने पास सुरक्षित रखें

- प्रथम लिंक को खोलें, अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुसरण करें और सूचना प्रस्तुत करें। इस पृष्ठ के अंत में दो लिंक "Next" और "Reset" दिए गए हैं। यदि आप संतुष्ट है कि भरी गई सूचना सही है तब "Next" क्लिक करें अन्यथा "Reset" पर क्लिक करें। "Next" खोलने के बाद, प्रस्तुत सूचना की जांच की जा सकती है और यदि सूचना सही है तो "Final submit" के लिए जाएं अन्यथा "Back" के लिए जाएं।
- डेटा की अन्तिम प्रस्तुति के बाद, प्रोग्राम आपको स्वतः ही भाग II फोटो और हस्ताक्षर के लिए लिए दूसरे लिंक पर ले जाएगा ।
- डेटा की अंतिम प्रस्तुति के बाद, प्रोग्राम आपको स्वतः शुल्क भुगतान के लिए तीसरे लिंक के लिए ले जाएगा।
- अनुदेश का पालन करें और शुल्क प्रस्तुत करें। शुल्क की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद, प्रोग्राम आपको पुष्टीकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट लेने के लिए चौथे लिंक पर ले जाएगा।
- अभ्यर्थी का ब्यौरा फीस के भुगतान के बिना सम्पादित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी के ब्यौरा एक बार फीस प्रस्तुत करने पर बदला नहीं जा सकता है। इसके बाद ब्यौरे में सुधार के लिए निर्धारित अवधि के दौरान ऑनलाइन सुधार की अनुमति दी जाएगी।
- आवेदन पत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति, शुल्क के भुगतान, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड और पुष्टीकरण पृष्ठ का प्रिंट लेने के लिए सभी चारों लिंकों का अलग से भी प्रयोग किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने शुल्क का भुगतान करने और कम्प्यूटर सृजित पुष्टिकरण पृष्ठ के प्रिटिंग की सुविधा प्रत्येक स्लॉट के अंतिम दिवस को निर्धारित अवधि में बंद कर दी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के अन्दर प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक है।
- नियत तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद भी, यदि कम्प्यूटर सृजित पुष्टीकरण पृष्ठ अंतिम तिथि को प्राप्त नही होता है अथवा बिना अपेक्षित शुल्क के प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा।

परिशिष्ट – III

जनपद क्रम संख्या ही जनपद का कोड है

क्र0सं0	जनपद का नाम	क्र0सं0	जनपद का नाम
1.	आगरा	39.	झाँसी
2.	हाथरस	40.	ललितपुर
3.	अलीगढ	41.	जालौन
4.	मथुरा	42.	वाराणसी
5.	फिरोजाबाद	43.	चन्दौली
6.	मैनपुरी	44.	जौनपुर
7.	एटा	45.	गाजीपुर
8.	बरेली	46.	मीरजापुर
9.	बदाँयू	47.	सोनभद्र
10.	शाहजहाँपुर	48.	संतरविदासनगर
11.	पीलीभीत	49.	आजमगढ़
12.	मुरादाबाद	50.	मऊ
13.	अमरोहा	51.	बलिया
14.	रामपुर	52.	गोरखपुर
15.	बिजनौर	53.	महराजगंज
16.	कानपुर नगर	54.	देवरिया
17.	कानपुर देहात	55.	कुशीनगर
18.	कन्नौज	56.	बस्ती
19.	फर्रूखाबाद	57.	संतकबीर नगर
20.	औरैया	58.	सिद्धार्थनगर
21.	इटावा	59.	फैजाबाद
22.	मेरठ	60.	अम्बेडकर नगर

NEW RU GO

23.	बागपत	61.	सुलतानपुर
24.	गाजियाबाद	62.	बाराबंकी
25.	गौतमबुद्धनगर	63.	गोण्डा
26.	बुलन्दशहर	64.	बलरामपुर
27.	मुजफ्फरनगर	65.	बहराइच
28.	सहारनपुर	66.	श्रावस्ती
29.	लखनऊ	67.	चित्रकूट
30.	उन्नाव	68.	बांदा
31.	रायबरेली	69.	महोबा
32.	सीतापुर	70.	हमीरपुर
33.	हरदोई	71.	अमेठी
34.	लखीमपुर खीरी	72.	कासगंज
35.	इलाहाबाद	73.	शामली
36.	कौशाम्बी	74.	हापुड़
37.	फतेहपुर	75.	सम्भल
38.	प्रतापगढ़		

02/01/18

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।